

आदेश

11.09.2021 पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है। अभियुक्त को उक्त मुकदमें में दोषी पाते हुए उचित अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक सप्ताह का साधारण कारावास व्यतीत करना होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महराजगंज।
11.09.2021